

# Exemption from Mandi fee

4.2.12 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा प्रदेश के बाहर से कच्चेमाल के रूप में लाये जाने वाले कृषि उत्पादों पर प्रदेश में मण्डी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

-----